हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जगदीश Vs पन्नालाल 197/ग्राउण्ड/23	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/7/24	पत्रावली पेश। हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खाता संख्या 335 के खसरा संख्या 2714/2309 वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होना प्रमाणित आया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। वादग्रस्त आराजीयात् प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी किए जाने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण भूमि खाता संख्या 335 के खसरा संख्या 2714/2309 वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा की पत्थरगढी करवाये जाने बाबत आंशिक स्वीकार योग्य है। –: आदेश :– प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आलोक में आदेश दिए जाते है कि विवादित भूमि खाता संख्या 335 के खसरा संख्या 2714/2309 के लगते हुए अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 2718/2309 व 2717/2309 की मेड पर वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा में वर्तमान कब्जे को सुरक्षित रखते हुए विवादित भूमि के पडोसी काश्तकारन को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। सम्बन्धित भू0अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी करने से कम से कम 3 दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडोसियान एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। उक्त आदेश की पालना के लिए पत्थरगढी फीस नियमानुसार प्रार्थी से राजकोष में जरिए चालान निर्धारित मद में जमा करवाई जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	